CNR No.-UPGD010042832023

न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०–04/
विशेष न्यायाधीश (ई०सी० ऐक्ट), गोण्डा।
उपस्थित–फूलचन्द्र कुशवाहा, {एच०जे०एस०} जे०ओ० कोड– यूपी 2712
सत्र वाद संख्या–992/2023

उत्तर प्रदेश राज्य **–––अभियोजन**

बनाम

1– जानकी प्रसाद पुत्र स्व० जगन्नाथ,
2– श्यामा पत्नी जानकी प्रसाद,
3– देवी प्रसाद उर्फ बेंचू पुत्र जानकी प्रसाद,
4– गुड़िया पत्नी देवी प्रसाद,
निवासीगण ग्राम सकरौरा ग्रामीण अहिरन पुरवा, थाना करनैलगंज, जिला गोण्डा।
–––अभियुक्तगण

मुकदमा अपराध संख्या–371/2022
धारा–323/34, 308/34, 504, 506 भा०दं०सं०,
थाना करनैलगंज, जिला गोण्डा।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोण्डा के न्यायालय के दाण्डिक वाद संख्या–517/2023 पुलिस थाना–करनैलगंज, जनपद–गोण्डा के अपराध संख्या–371/2022 अन्तर्गत धारा–323, 504, 506, 308 भा०दं०सं० राज्य बनाम जानकी आदि में पारित सत्र सुपुर्दगी आदेश दिनांकित 04.07.2023 से उद्भूत सत्र प्रकरण। उक्त पत्रावली माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश अनुपालन में अन्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई। तत्पश्चात इस न्यायालय में अग्रिम विचारण प्रारम्भ हुआ।

अभियोजन द्वारा– सुश्री अनीता साहू सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गोण्डा।

अभियुक्तगण द्वारा– विद्वान अधिवक्ता श्री उपेन्द्र कुमार मिश्रा उपस्थित।

निर्णय

(आज दिनांक–04.08.2026 को उद्घोषित)

1– आरोप परिचय–

पुलिस थाना करनैलगंज, जिला गोण्डा के अन्तर्गत स्थित 01 किमी० उत्तर–पश्चिम ग्राम सकरौरा ग्रामीण में दिनांक 09.08.2022 को समय 03.00 बजे दोपहर अभियुक्तगण नें भद्दी–भद्दी गाली व जान से मारने की धमकी देते हुए वादिनी मुकदमा श्रीमती अनुराधा को, उसके लड़के शुभम, शिवा, सास रामलली व जेठ के लड़के सोनू को लाठी व डन्डा मारा पीटा जिससे काफी चोटे आयी। अभियुक्तगण द्वारा की गयी मार–पीट से सोनू के मर्मस्थल सिर में फ्रैक्चर पाया गया जिस कारण उनका विचारण

निम्नानुसार विरचित आरोप दिनांकित 30.11.2023 पर किया गया।

क्रम सं०	अभियुक्तगण का नाम	धाराएं
1	जानकी प्रसाद	धारा–323/34, 308/34, 504, 506 भा०दं०सं०
2	श्यामा	धारा–323/34, 308/34, 504, 506 भा०दं०सं०
3	देवी प्रसाद उर्फ बेंचू	धारा–323/34, 308/34, 504, 506 भा०दं०सं०
4	गुड़िया	धारा–323/34, 308/34, 504, 506 भा०दं०सं०

2– <u>अभियोजन कहानी</u>–

अभियोजन कहानी संक्षेप में यह है कि वादिनी मुकदमा श्रीमती अनुराधा द्वारा प्रभारी निरीक्षक, थाना करनैलगंज, जिला गोण्डा को इस आशय का तहरीर दिया कि दिनांक 09.08.2022 को समय करीब दोपहर 03.00 बजे विपक्षीगण जानकी व उसकी पत्नी, बेचू पुत्र जानकी, बेचू की पत्नी जो उसके गांव के हैं जमीनी विवाद के कारण प्रार्थिनी के घर के बाहर गाली गुप्ता देने लगें जिसका उसने विरोध किया तो सभी विपक्षीगण आमादा फौजदारी होते हुए प्रार्थिनी के साथ लाठी व डण्डे से मारने पीटने लगें तथा प्रार्थिनी को बचाने उसके लडके शुभम, शिवा, सास रामलली तथा जेठ का लड़का सोनू आये तो अभियुक्तगण द्वारा उन लोगों को भी बेरहमी से मारा पीटा जिससे सभी को काफी चोटें आयी हैं। जानकी यह कहते हुए चले गये कि जमीन छोड दो नही तो तुम लोगों से जान से मार देंगे। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरी रिपोर्ट लिखकर आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें।

3– <u>पुलिस कार्यवाही</u>–

वादिनी मुकदमा के तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर अभियुक्तगण जानकी, जानकी की पत्नी, बेंचू व बेंचू की पत्नी के विरूद्ध दिनांक 09.08.2022 व समय 16.59 बजे थाना करनैलगंज, जनपद गोण्डा में मु०अ०सं०–371/2022 धारा–323,504,506 भा०दं०सं० के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–3 पंजीकृत किया गया तत्पश्चात थाने द्वारा जी०डी० रपट सं०–39 के अनुसार उक्त सूचना तुरंत दूरभाष से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दी गयी और मामले का अन्वेषण प्रारंभ किया गया। विवेचनोपरांत अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा–323,504,506,308 भा०दं०सं० का अपराध प्रमाणित होने पर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।

4– नक्शा नजरी प्रदर्श क–5 दिनांकित–12.08.2022 जहॉ पर संकेत A से घटनास्थल दिखाया गया है तथा उसके आस–पास की चौहद्दी दर्शित की गयी गयी है। उपरोक्त नक्शा नजरी अन्वेषणकर्ता द्वारा तैयार की गयी। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा साक्षियो के बयान धारा–161 द0प्र0सं0 दर्ज किये गये। विवेचक द्वारा मामले में कुल 11 गवाहो को आरोप पत्र में साक्षी के रूप में दर्शित किया गया है। विवेचनोपरान्त अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्तर्गत धारा–323, 504, 506, 308 भा०दं०सं० का अपराध

प्रमाणित होने पर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।

5- अभियुक्तगण जानकी प्रसाद, श्यामा, देवी प्रसाद उर्फ बेचू एवं गुड़िया पर दिनांक 30.11.2023 को अन्तर्गत धारा-323/34, 308/34, 504, 506 भा०द०सं० का आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

6- अभियोजन द्वारा मामले को साबित करने के लिए निन्तलिखित साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है-

क्रम संख्या	**व्यक्ति का नाम**	**साक्षी संख्या**	**कथन दिनांक**	**अंकित प्रदर्श**
1.	अनुराधा	पी०डब्लू० 1	21.12.2023	प्रदर्श क-1
2.	रामलली	पी०डब्लू० 2	19.02.2024	
3.	शिवा	पी०डब्लू० 3	02.05.2024	
4.	सोनू	पी०डब्लू० 4	16.05.2024	
5.	गीता	पी०डब्लू० 5	20.07.2024	
6.	बालकराम	पी०डब्लू० 6	03.08.2024	
7.	डा० पवन कुमार	पी०डब्लू० 7	23.09.2024	प्रदर्श क-2
8.	हे०का०दिनेश कुमार	पी०डब्लू० 8	12.02.2025	प्रदर्श क- 3 व 4
9.	उ०नि०अमर सिंह	पी०डब्लू० 9	10.06.2025	प्रदर्श क-5 व 6
10.	डा०मोहम्मद मुदस्सिर	पी०डब्लू० 10	07.07.2025	प्रदर्श क-7, 8, 9, 10, 11
11.	डॉ० प्रितेश यादव	पी०डब्लू० 11	29.01.2026	प्रदर्श क-12

7- <u>अभियोजन द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य</u>

अभियोजन द्वारा मामले को साबित करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है।

क्रम संख्या	**दस्तावेज**	**दिनांक**	**अंकित प्रदर्श**
1.	तहरीर	09.08.2022	प्रदर्श क-1
2.	सी०टी० स्कैन रिपोर्ट	10.08.2022	प्रदर्श क-2

3.	चिक एफ०आई०आर०	09.08.2022	प्रदर्श क–3
4.	जी०डी० नं० 39	09.08.2022	प्रदर्श क–4
5.	नक्शा नजरी	12.08.2022	प्रदर्श क–5
6.	आरोप पत्र	30.10.2022	प्रदर्श क–6
7.	इंजरी रिपोर्ट शुभम	09.08.2022	प्रदर्श क–7
8.	इंजरी रिपोर्ट अनुराधा	09.08.2022	प्रदर्श क–8
9.	इंजरी रिपोर्ट शिवा	09.08.2022	प्रदर्श क–9
10.	इंजरी रिपोर्ट रामलली	09.08.2022	प्रदर्श क–10
11.	इंजरी रिपोर्ट सोनू	09.08.2022	प्रदर्श क–11
12.	मेडिकल रिपोर्ट के०जी०एम०यू०	12.08.2022 व 13.08.2022	प्रदर्श क–12

8– अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा–313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया जिसमे उसने अभियोजन कथानक को गलत बताया और अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण द्वारा गलत बयान दिये जाने व दुर्घटनावश भैस चराते समय गिरकर चोट खाने का कथन किया गया है। इसके अतिरिक्त उन्होने कथन किया है कि वादिनी की पति ओंकार ने अपनी कुछ जमीन मस्तान प्रापर्टी डीलर को बैनामा किया था। उक्त जमीन उनके घर से बगल थी इस कारण उन्होने मस्तान से खरीद लिया था। इसी भूमि विवाद की रंजिश से दुर्घटनावश आयी कथित चोट का बहाना बनाकर हम लोगो को नामजद करके मुल्जिम बना दिया गया। हम लोग निर्दोष है व हमें फर्जी फंसाया गया है।

9– मैने राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना।

10– विद्वान विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में जमीनी विवाद के कारण वादिनी मुकदमा श्रीमती अनुराधा को गाली–गुप्ता देते हुए वादिनी व उसके लड़के शुभम, शिवा, सास रामलली व जेठ के लड़के सोनू को लाठी डण्डा से मारा–पीटा जिससे सोनू के मर्मस्थल सिर में फ्रैक्चर के साथ हैम्रेज हो गया तथा उनके द्वारा जान से मारने की धमकी दिया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध घटना कारित किये जाने के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अतः उन्हे कठोर दण्ड से दण्डित किया जाये।

11– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वादिनी मुकदमा व अभियुक्तगण आपस में सगे सम्बन्धी है। चोटहिल सोनू को सिर में चोट भैंस चराते समय गिरने से आयी है। उसके सिर में आयी हुई चोटे मेडिकल रिपोर्ट व विशेषज्ञ साक्षी

के साक्ष्य से समर्थित नही होती है। साक्षीगण के बयानों में भारी विरोधाभाष है। घटनास्थल स्थापित नही होता है। जमीनी रंजिश के कारण अभियुक्तगण को फर्जी मुकदमें में फंसाया गया है। मामले को साक्षीगण द्वारा बढ़ा–चढ़ाकर पेश किया गया है। अतः उनका साक्ष्य विश्वसनीय नही है। पत्रावली पर अभियुक्तगण के विरुद्ध सशक्त व सटीक साक्ष्य उपलब्ध नही है। अतः उन्हे दोषमुक्त किया जाये।

12– <u>अभियजोन द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य</u>

अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू०–1 अनुराधा** (वादिनी मुकदमा) ने सशपथ बयान में कथन किया है कि घटना दिनांक 09.08.2022 की हैं। समय दोपहर 03:00 बजे का था। जमीनी विवाद को लेकर मेरे गांव के जानकी, बेचू उर्फ देवी प्रसाद और जानकी की पत्नी श्यामा, बेचू की पत्नी गुड़िया, मन्ना, राजेश हमारे घर पर आकर हम लोग को लाठी–डण्डा और बांका से मारे। हमारे बच्चे बचाने आये तो मेरे बेटे शिवा, शिवम व जेठ का लड़का सोनू, मेरी सास राम लली को भी मारे। सब को चोट आयी थी। फिर हल्ला गुहार पर पूरे मोहल्ले के लोग आ गये, तब ये लोग गाली–गलौज करते हुए धमकी देते हुए भाग गये। कहे कि हमारा जमीन छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें जान से मार डालेंगे। फिर हम लोग थाने पर गये, वहां पर जाकर रिपोर्ट लिखाया। थाने से पुलिस हमें लेकर सरकारी अस्पताल, करनैलगंज गयी, जहां सबका डाक्टरी मुआयना हुआ। हमारी सास और सोनू को गम्भीर चोट आयी थी, उनको गोण्डा रिफर कर दिये थे। फिर गोण्डा से सोनू को लखनऊ मेडिकल के लिये रिफर किये। सोनू 1 हफ्ते मेडिकल कॉलेज में रहे। हमारा इलाज करनैलगंज में ही हुआ। मुझे हाथ में, कमर में और पैर में चोट आयी थी। साक्षी को पत्रावली पर उपलब्ध कागज सं0–4/5 तहरीर दिखाया गया तो साक्षी ने कहा कि यह वही तहरीर है, जो मैंने थाने पर दिया था, जिस पर मेरा हस्ताक्षर है। मैंने छः लोगों का नाम बताया था, पर टाइप करने में मन्ना और राजेश का नाम छूट गया है। साक्षी ने तहरीर पर मौजूद अपने हस्ताक्षर को प्रमाणित किया, जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। यह तहरीर मैने उसी दिन थाने में दिया था। मैने दरोगा जी को सारी बात बतायी थी। जहाँ मार–पीट हुई थी वह जगह भी दिखाया था। अभियुक्तगण अभी भी सुलह करने का दबाव बना कर जान से मारने की धमकी देते है। **साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा किया गया** तो उसने कथन किया है कि हम लोग पहले कुरथा के रहने वाले थे। सकरौरा से कुर्था दो–तीन कोस दूर है। हमारे ससुर हमारी शादी से पहले सकरौरा में जमीन खरीदे थे। किससे जमीन खरीदी थे यह मेरे ससुर जी बता सकते हैं। जमीन तीन बीघा सात बिस्वा व चार बीघा थी। यह जमीन जहां थी वहां जानकी का मकान नहीं था। जानकी मुल्जिमान का घर पहले से सकरौर गांव में था। मेरी सास जानकी की बुआ है। हम लोग सकरौरा में निवासा पर नहीं, जमीन बैनामा खरीदे थे और वहां रहने आए थे। सकरौरा वाली जमीन किससे खरीदी गई थी मुझे नहीं मालूम। सड़क के एक तरफ मेरी तथा दूसरी तरफ मस्तान चिकवा की जमीन है। मस्तान की

जमीन जानकी ने घटना के पहले खरीद लिया था। जो जमीन जानकी ने मस्तान से खरीदा वह जमीन मेरी जमीन के सामने सड़क के उसे पर पड़ती है। ऐसा नहीं है कि वह जमीन जो जानकी ने मस्तान से खरीदा वह मेरे दरवाजे से थी। इसी जमीन के बाबत मेरा विवाद जानकी से चल रहा था। मेरा जानकी से कोई मुकदमेबाजी नहीं चली। हम लोगों के संबंध खराब नहीं थे। मैं स्कूल में काम करती थी इसी को लेकर मेरे ऊपर जानकी के परिवार ने आरोप लगाया था इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। श्यामा और गुड़िया भी मारने में थी। झगड़ा 10–5 मिनट तक हुआ होगा। बांका बेचू ने चलाया था जो मेरे बाएं हाथ में लगा था। मैं थाने पर रिपोर्ट लिखाने गई थी। गवाह को प्रदर्श क–1 तहरीर दिखाया गया तो उसने कहा कि इसे दरोगा जी ने थाने में ही टाइप कराया था जिस पर मेरा दस्तखत बनवाया था उसके बाद दरोगा जी ने मुझे अस्पताल भेज दिया था। मैं थाने में करीब आधे घंटे तक रही दूसरे दिन मुझे रिपोर्ट की नकल मिली थी। जो कागज दरोगा जी ने टाइप कराया था उसे पढ़कर मुझे सुनाया था जो मैंने बोला था वही लिखा गया था। मैंने दरोगा जी को बताया था की लाठी डंडा बांका से मारे हैं लेकिन उन्होंने इसमें बांका से मारने की बात लिखा नहीं तो मैं इसकी वजह नहीं बता सकती क्योंकि मैं इतनी पढ़ी–लिखी नहीं हूं। मेरे हाथ कमर व पैर में चोट आई थी। मेरे खून निकल निकल आया था। मेरे कपड़े में भी खून लग गया था पूरी साड़ी खून से भीग गई थी। मौके पर खून एक हफ्ता पड़ा था। मैने खून लगा कपड़ा उन दरोगा जी को दिखाया था जिन्होंने मेरी तहरीर टाइप कराया था। मैं अस्पताल से 5:00 बजे अपने घर आई थी। उस दिन के बाद दूसरे दिन दरोगा जी खून की जब जांच करने गए थे तब उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। झगड़ा जहां हुआ था वह स्थान सड़क के किनारे था। झगड़ा मेरे घर के सामने हुआ था। मेरे घर का दरवाजा उत्तर तरफ है। झगड़ा घर के बगल में व सड़क व घर के बीच में हुआ था। मौके पर जगदेव का घर नहीं है। वहां मेरे घर के बगल रामदास का भी मकान है। झगड़े के समय रामदास के घर का कोई नहीं आया था। मुझे गिरा कर मार रहे थे तो मैं नहीं जान पाई की कौन–कौन आया था। मेरी डॉक्टरी करनैलगंज अस्पताल में हुई थी। पांच लोगों की डॉक्टरी कर्नलगंज में हुई। हम लोग गांव से बैटरी रिक्शा से अस्पताल करनैलगंज गए थे। हम चोटहिलों के अलावा घर का और कोई साथ में नहीं था। अस्पताल से एक किलोमीटर पहले थाना है। मेरे घर से अस्पताल 2 किलोमीटर दूर है। थाना भी उतनी ही दूर पड़ता है। हम लोग पहले थाने गए थे उसके बाद अस्पताल गए थे। थाने पर दरोगा जी मिले थे कोतवाल साहब नही मिले थे, वे मोहर्रम में ड्यूटी पर गये थे। मैंने दरोगा जी को बताया था कि हम लोगों को चोट लगी है तो दरोगा जी ने कहा पहले डॉक्टरी कराओ। अस्पताल में करीब आधा घंटा तक रही। डॉक्टरी कराने में करीब 2 घंटे लगा होगा। जिस समय घटना हुई थी उस समय मोहर्रम का जुलूस निकल रहा था। जुलूस मेरे घर के सामने से नहीं जाता मार्केट में जाता है। पुलिस वाले दूसरे दिन मेरे घर पर आए थे।

खून जहां पड़ा था देखा था मेरा कोई बयान या चोटहिलों/बच्चों से कोई बयान पुलिस ने नहीं लिया था। थाने पर सुनवाई न होने पर पुलिस कप्तान को दरखास्त दिया था तब रिपोर्ट लिखी गई और घटना के दो–तीन दिन बाद पूछताछ शुरू हुई। हम लोग सगे रिश्तेदार हैं। जिस जमीन पर मेरा घर बना है उस जमीन को मुलजिमान कह रहे थे कि मेरी जमीन है इसी बात को लेकर विवाद हुआ था। पहले इस जमीन का कोई मुकदमा नहीं चला था। दरोगा जी ने मेरे बयान में जिस जमीन का विवाद बताया है वह यही जमीन का विवाद था। ऐसा नहीं है कि मस्तान से जो जमीन जानकी ने मेरे घर के सामने खरीदा था उसका कोई विवाद नहीं था। यह कहना गलत है कि मोहर्रम के जुलूस के दौरान भीड़ में लोगों द्वारा पथराव करने व भगदड़ होने पर हम लोगों व बच्चों को चोट आई थी। यह कहना गलत है कि मेरे घर के सामने जानकी द्वारा खरीदी गई जमीन को हम लोग कब्जा करना चाहते थे इसके संबंध में मुकदमेबाजी हुई थी और इस पर दबाव बनाने के लिए दुर्घटनावश आई चोटें दिखाकर फर्जी मुकदमा दिखाया गया हो। यह कहना गलत है कि मैनें फर्जी आधार पर मुकदमा लिखने का प्रयास किया था इस कारण थाने पर मेरा मुकदमा नहीं लिखा गया। यह कहना गलत है कि मुलजिमान जानकी आदि ने मुझे व मेरे परिवार के लोगों को ना मारा पीटा हो और गाली गुप्ता ना दिया हो। यह कहना गलत है कि मैने न्यायालय पर गलत बयान दिया है

13– अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू० 2 रामलली** ने सशपथ बयान में कथन किया है कि घटना करीब एक साल साढ़े सात महीना पहले की है। अषाढ़ का महीना था। समय दिन के तीन बजे का था। जमीनी विवाद को लेकर जानकी व जानकी की पत्नी श्यामा, बेचू उर्फ देवी प्रसाद व बेचू की पत्नी गुड़िया (गुड्डी) तथा मन्ना व राजेश आये और मेरी बहू अनुराधा को मेरे घर के आंगन में मारने लगे और गाली–गुप्ता भी दिये। लाठी–डण्डा से मारे और फिर बांका चला दिये। बांका गले पर मारा था तो मेरी बहू हाथ से रोकने लगी तो बांका उसके हाथ में लगा था। दो बांके की चोट बहू के हाथ में लगी थी। मैं बचाने दौड़ी तो जानकी की औरत ने मेरा बाल पकड़ लिया तथा बेचू ने पैर पर मारा तब मैं गिर गयी, फिर सभी मुल्जिमानों ने मुझे मारा–पीटा। मेरा पोता शिवा, शुभम व सोनू भी मौके पर थे। सभी लोगों ने मेरे पोतों को खदेड़–खदेड़ कर मारा। सोनू की उम्र 12 साल थी और शिवा व शुभम की उम्र कमशः 11 साल व 9 साल थी। हम लोगों की डाक्टरी सी०एच०सी० करनैलगंज में हुई थी लेकिन मुझे व सोनू को गम्भीर स्थिति देखते हुए गोण्डा जिला अस्पताल के लिये भेज दिया गया था। सोनू को ज्यादा चोट होने के कारण जिला अस्पताल से लखनऊ मेडिकल कॉलेज के लिये रिफर कर दिया गया था। इस घटना के बारे में पुलिस द्वारा पूछताछ की गयी थी तो यही बात मैंने बताया था। दरोगा जी ने थाने पर पूछा था, फिर मेरे घर पर गये थे और पूछताछ किया था। सोनू की दवा अब भी दिल्ली में चल रही है। थाने से दो महिला सिपाही मेरे घर मेरी सुरक्षा के लिये आयी थी क्योंकि मुल्जिमानों ने जान से मारने की धमकी दिया था।

अभी भी मुल्जिमान धमकी देते है कि सुलह कर लो नहीं तो जान से मार देंगे। **साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा किया गया** तो उसने कथन किया कि जो घर हम लोग बनाए हैं उसी का विवाद था। जमीन मेरे पति के नाम से थी जो अब हम लोगों के नाम हो गई है। यह बैनामा की जमीन थी बंपश की जमीन नहीं थी। बैनामा किस लिया गया था मैं नहीं जानती। यह बैनामा कब लिया गया था मैं यह भी नहीं जानती। यह जमीन जानकी के घर से पूरब तरफ सड़क किनारे है। यह जमीन छप्पर रखने के लिए ली गई थी। हम लोगों का पुश्तैनी घर कुरथा में है जो सकरौरा से एक कोस दूरी पर है। हम लोगों को नेवासा पर आए हुए ज्यादा साल हो गया। जहां मेरी जमीन थी उसी के पास जानकी की भी जमीन है जो उन्होंने मस्तान से खरीदा था। वह जमीन खाली है। जानकी उस पर छप्पर आदि नहीं रखे हैं। इस जमीन के बाबत हम लोगों का कोई मुकदमा नहीं चल रहा है। जो जमीन मस्तान ने जानकी को बेची थी वह जमीन पहले मेरे लड़के ओमकार ने मस्तान को बेचा था। मस्तान ने नाप कर जानकी की जमीन अलग कर दिया। उनके नापने के बाद उन्होंने कहा कि जो छप्पर आपने रखा है वह भी इसी जमीन पर रखा है। झगड़े के कुछ दिन पहले जमीन पुलिस व लेखपाल की मौजूदगी में नापी गई। जिस दिन नाप हुई थी उस दिन कोई झगड़ा बवाल नहीं हुआ था। झगड़ा के समय में घर पर थी। झगड़ा मेरे दरवाजे पर शुरू हुआ था। विवादित जमीन से मेरे घर का सहन मिला है वही विवाद हुआ था। दरोगा जी ने मुझसे पूछा था कि झगड़ा कहां हुआ था तो दरोगा जी को मैंने मारपीट की जगह दिखाया था। दरोगा जी ने यदि वह जगह नक्शा नजरी में नहीं दिखाया है तो मैं इसकी वजह नहीं बता सकती। लड़ाई झगड़ा मारपीट एक घंटे तक हुई थी। जानकी की औरत ने मेरा बाल पड़कर गिरा दिया तब सब लोगों ने मुझे लाठी डंडा से मारा। मुझे कितनी लाठी मारे थे मैं नहीं बता सकती। मैं बेहोश नहीं हुई थी चिल्ला रही थी। मेरे शरीर से खून नहीं निकला था। यह कहना गलत है कि मुझे मारपीट में कोई चोट नहीं लगी थी। मैंने जो बाल पड़कर पटकने व पैर पर मारने वाली बात बताया है वह बात दरोगा जी को भी बताया था। अगर उन्होंने मेरे बयान में यह बात नहीं लिखा तो मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकती। मैं रिपोर्ट लिखाते समय थाने गई थी। पुलिसवालों ने थाने पर मेरी चोट नहीं देखा था। जिस दिन मुझे चोट लगी थी उसे दिन मुकदमा लिखा गया थाष ऐसा नहीं है कि ऊपर दरखास्त देने पर थाने पर मेरा मुकदमा लिखा गया हो। जब मुकदमा लिखा गया तो सभी चोटहिल थाने पर मौजूद थे। अनुराधा के हाथ में जो चोट लगी थी उससे खून निकला था। यह कहना गलत है कि कोई मारपीट की घटना नहीं हुई थी और मुझे कोई चोट ना लगी हो। यह भी कहना गलत है की राय मशविरा करके जमीन विवाद के कारण पूरे परिवार को मुल्जिम बना दिया। यह कहना गलत है कि मस्तान ने जो जमीन जानकी को बेची थी उसी पर नाजायज कब्जा के नीयत से हम लोगों ने विवाद किया था और काफी लोग आ गए थे जिसमें भाग दौड़ में हम लोगों को चोट लग गई थी।

14– अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू० 3 शिवा** ने सशपथ बयान में कथन किया है कि घटना दिनांक 09.08.2022 की है समय दिन में 03:00 बजे का था। उस दिन सुबह लड़ाई हुई। जानकी से लड़ाई हुई थी तो हम लोग थाने में तहरीर देकर आये थे। थाने से जब हम लोग लौटे तो मेरी मां को मेरे गांव के जानकी, जानकी की पत्नी, बेचू तथा बेचू की पत्नी, राजेश व मुन्ना मारने लगे। सुबह जो जमीन को लेकर झगड़ा हुआ था उसी बात को लेकर मेरी माता को मुल्जिमान मारे–पीटे। बचाने जब हम लोग गये तो मुझे, मेरे भाई शुभम, मेरे ताऊ के पुत्र सोनू व दादी को भी उपरोक्त अभियुक्तों ने मारा–पीटा। मुझे, मेरी मम्मी व दादी, सोनू तथा शुभम को भी चोटें आयी थी। मेरी मां अनुराधा ने थाने पर मुकदमा लिखाया था। वहीं से डाक्टरी के लिये सरकारी अस्पताल करनैलगंज सी०एच०सी० भेजा गया था। वहां से मेरी दादी व सोनू को अधिक चोट होने के कारण जिला अस्पताल गोण्डा भेजा गया था। जिला अस्पताल से सोनू को लखनऊ मेडिकल कॉलेज भेजा गया था। दरोगा जी ने मुझसे पूछताछ किया था तो मैंने उन्हें भी यही बात बताया था। मेरे हाथ में चोट आयी थी। मम्मी को बेचू ने बांका से मारा था। जानकी ने लाठी से मारा था और सब लोगों ने मिलकर हम सबको मारा था। दादी के पैर में तथा सोनू के सिर में चोट लगी थी। शुभम को भी चोट आयी थी। **साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा किया गया** तो उसने कथन किया कि घटना के समय मैं खेत में भैंस चरा रहा था। मैं 2:00 बजे भैंस लेकर गया था। मैं घटनास्थल से एक खेत छोड़कर था। मेरा भाई सोनू भी मेरे साथ भैंस चरा रहा था। मैं भैंस हांक कर चरा रहा था। मैं दो भैंस चरा रहा था सोनू तीन भैंस चरा रहा था। विवाद खेत को लेकर था। खेत बोने वाला था जिसका विवाद था। हमारे घर वाले कहते हैं कि वह खेत मेरा है, विपक्षी कह रहे थे कि मेरा खेत था। यह विवाद पहले से नहीं चल रहा था। घटना वाले दिन से था। खेत की रुधांई जानकी कर रहे थे। इस मामले में गांव के प्रधान से कोई शिकायत नहीं किया था। जानकी खेत की रुंधाई का काम 12:00 बजे से कर रहे थे। फोन से पुलिस को सोचना दी गई थी लेकिन पुलिस नही। हम लोग थाने पर भी गए थे। मैं और सोनू शोर सुनकर आए तो देखा कि मेरी मां अनुराधा और रामलली को चोट लगी थी गिरी पड़ी थी। मम्मी के हाथ में बांके से चोट लगी थी खून बह रहा था। उस समय गांव के कोई नहीं आए। गांव में करीब 200 घर होंगे। गांव का कोई भी आदमी बीच बराव करने नहीं आया बल्कि तमाशा देखने आए थे। जहां मुझे चोट लगी थी वहां बाग था चारों तरफ जंगल था। मुझसे चार कदम की दूरी पर सोनू को चोट आई थी। जहां मुझे व सोनू को चोट आई थी वहां से एक खेत के बाद मेरी मम्मी के हाथ में चोट लगी थी और दादी गिरी पड़ी थी। जहां मेरी मम्मी व दादी को चोट लगी थी वहां कोई मकान नहीं था झोपड़ी थी। झोपड़ी मेरी थी। खून मेरी मम्मी के सारे कपड़े में लगा था। हम लोग ऑटो से 3:30 बजे शाम को थाने पहुंच गए थे। हम लोग सीधे थाने गए थे। थाने से मदद लेने गए थे। पहले चोटों का इलाज नहीं कराया। पुलिस वाले दो–तीन

महीने बाद जांच करने आए लेकिन पैसा लेकर वापस चले गए और दोबारा जांच करने कभी नहीं आए। मेरी मम्मी व दादी ने जानकी के खिलाफ एसपी साहब को कई बार प्रार्थना पत्र दिया था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने, मेरी मम्मी व दादी किसी ने घटनास्थल के बारे में पुलिसवालों को नहीं बताया क्योंकि पुलिस ने पूछा नहीं था। पुलिसवालों ने न नक्शा बनाया, न बयान लिया और न किसी को गिरफ्तार किया। सोनू मुझसे एक साल छोटा है जो मेरे भाई के साथ हरियाणा में है। ऐसा नहीं है कि हम लोग भैंस पर बैठकर भैंस चराते समय भैंस से गिरे हो और चोटे आई हो। यह भी कहना गलत है की दादी व मम्मी के सीखने पढ़ाने से झूठा बयान दिया हो। यह भी कहना गलत है कि मुलजिमान जानकी आदि ने हम लोगों को नहीं मारा पीटा हो।

15– अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू० 4 सोनू** ने सशपथ बयान में कथन किया है कि घटना दिनांक 09.08.2022 समय 03:00 बजे दोपहर की है। मैं भैंस चराने गया था और प्यास लगने पर पानी पीने घर आया तो देखा कि मेरी दादी, मेरी चाची व मेरे भाई को मेरे गांव के जानकी, उनकी पत्नी नाम याद नहीं है, बेचू व बेचू की पत्नी तथा दो अन्य राकेश व मुन्ना ये सभी लोग मार रहे थे। ये लोग जमीन के बारे में मार रहे थे। ये लोग मेरी मां को मारने जा रहे थे, मैंने मना किया तो मुझे भी मारे। मेरे सिर पर बेचू ने मारा था। मेरी मां को राकेश और मुन्ना मारे थे। जानकी व जानकी की पत्नी, बेचू व बेचू की पत्नी, मेरी दादी व मेरी चाची अनुराधा को मारे थे। बेचू ने बांका से मेरी चाची अनुराधा को मारा था। मारपीट में मुझे मेरी दादी, मेरी चाची व मेरे भाई शुभम व शिवा को चोट आयी थी। सभी चोटहिल को सी०एच०सी० करनैलगंज, गोण्डा में इलाज हेतु लाया गया था। करनैलगंज सरकारी अस्पताल लाया गया था। वहां से मुझे व मेरी दादी को ज्यादा चोट होने के कारण जिला अस्पताल गोण्डा भेजा गया था। उसके बाद मुझे लखनऊ भेज दिया गया। मेरे घर वालों ने बताया था कि तुम्हारा इलाज लखनऊ में कराया गया था। मेरे सिर में ज्यादा चोट आयी थी और उसकी दवा अभी भी चल रही है। दवा चलने के कारण मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। घर आने पर पुलिस वालों ने मेरा बयान लिया था। यही सब बात मैंने पुलिस को भी बताया था। **साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा किया गया** तो उसने कथन किया कि जानकी मेरे पट्टीदार नहीं है बल्कि गांव के हैं। मेरे घर से उनका घर तीन–चार घर छोड़कर है। मैं घटना वाले दिन भैंस घर के बगल वाले खेत में चल रहा था। शिव भी मेरे साथ था। हम दोनों भाई भैंस चरा रहे थे मेरी मां और दादी घर पर थी। पिताजी कहीं गए थे। घटना वाले दिन पिताजी मुझे अस्पताल में मिले थे। हम दोनों लोग साथ पानी पीने आए थे। जब मैं आया तो मां और दादी गिरी हुई थी लेकिन मार रहे थे। मैं 2:30 बजे भैंस लेकर गया था। चार भैंस थी। मैं भैंस दूसरे के खेत में चरा रहा था परंतु खेत वाले का नाम मैं नहीं जानता हूं। खेत में फसल नहीं लगी थी खाली पड़ा था। मैंने दरोगा जी को उस खेत के बारे में बताया था जहां मैं भैंस चरा रहा था। जब मैं आया तो दादी घर पर थी। चाचा भी दादी के पास ही

थी। मैं घर के अंदर घुसा तो देखा की मारपीट हो रही है। मेरी चाची के हाथ से खून बह रहा था, दादी के खून बहते नहीं देखा था। मुझे चोट चाची व दादी वाले स्थान पर नहीं लगी थी बल्कि दूसरे जगह लगी थी। घर पहुंचने के एक घर पहले मुझे चोट लगी थी। वहीं पर मेरे भाई शिवा को भी चोट लगी थी। हम दोनों भाई वहीं गिर गए थे। हम दोनों भाई अपने घर के पूरब तरफ गिरे थे। मैं अपने गिरने वाले स्थान को दरोगा जी को दिखाया था। वह जगह दरोगा जी को 15–20 दिन बाद दिखाया था। मेरी पुलिस से पहली मुलाकात चोट लगने के 15–20 दिन बाद हुई थी। दरोगा जी मेरे घर आए थे। उस समय वहां मेरी मां, दादी, मैं व भाई शिव मौजूद थे। मेरे गिरने वाली जगह मेरी मां ने दरोगा जी को दिखाया था। मैं उनके साथ नहीं था। मुझसे पहले पूछा था तब मैं चला गया था। उसके बाद उन लोगों से पूछताछ किए थे या नहीं मुझे नहीं मालूम है। मेरे घरवालों से तथा विपक्षी के घरवालों से कोई दुश्मनी नहीं थी। मस्तान को जमीन मेरी चाची ने दिया था वह जमीन मस्तान ने नाप कर जानकी को दे दिया था। पहले उस जमीन में मढहा रखा था। मढ़हा हटवा करके जमीन जानकी को दी गई थी। मड़हा मेरी चाची का था। जमीन मेरे चाचा ओम प्रकाश ने बेच दिया था उसके बाद ओम प्रकाश की मृत्यु हो गई। मस्तान ने मात्र उतनी ही जमीन ओम प्रकाश से खरीदी थी वहीं जमीन जानकी को भेजा था। यह जमीन जानकी के घर के पूर्व तरफ थी जिस तरफ मेरे घर मेरा घर था। जानकी के घर के पास रास्ता है रास्ता के बाद उक्त विवादित जमीन है। इस जमीन के बाबत कोई मुकदमा कहीं नहीं चल रहा था। जमीन का कोई विवाद शेष नहीं रह गया था। मुझे यह नहीं मालूम है की जमीन को लेकर विवाद हुआ हो और उसके लिए कोई मुकदमा चला हो। यह कहना गलत है की मारपीट न हुई हो बल्कि भीड़ भाड़ में लोगों द्वारा पत्थर चलाने से उक्त चोटे आई हो। चोट आने के बाद मैं बेहोश हो गया था। जब मैं थाने गया तब होश में था। थाने से मैं अस्पताल चला गया था। मैं अस्पताल से 10–15 दिन बाद घर आया था। मेरे सिर में चोट आई थी परंतु खून नहीं निकला था। मेरा सर बैठ गया था। यह कहना गलत है कि मैं पत्थर चलने पर भागा हो और उसी में गिरने से मुझे चोट आई हो। यह कहना गलत है कि मैं अपनी चाची, मां, दादी के समझाने पर आज झूठी गवाही दे रहा हूं।

16– अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू० 5 गीता** ने सशपथ बयान में कथन किया है कि घटना दिनांक 09.08.2022 ताजिया के दिन समय करीब 03:00 बजे की है। जमीनी विवाद को लेकर मेरी देवरानी अनुराधा को घर के बाहर जानकी व जानकी की पत्नी, देवी प्रसाद उर्फ बेचू व बेचू की पत्नी मन्ना व राजेश कुल छः लोग मिलकर मारपीट रहे थे। बचाने गये मेरे परिवार के शुभम, शिवा, मेरी सास रामलली को भी मारा–पीटा, जिससे उन्हें गम्भीर चोटें आयी। हल्ला गोहार सुनकर मैं व मेरे पति बालकराम बाहर आकर देखे तो सभी लोग मारपीट रहे थे। सोनू को दौड़ाकर लाठी से मारे तो उसके मुंह से फेंचकुर निकल आया। मारते–पीटते समय धमकी भी दे रहे थे। उन लोगों ने बांका

से अनुराधा को मारा था। सोनू के सिर में ज्यादा चोट लगी थी, उन्हें करनैलगंज अस्पताल से गोण्डा तथा गोण्डा से लखनऊ भेज दिया गया। पहले सभी चोटहिलों का मेडिकल करनैलगंज में हुआ था। फिर सास व सोनू को जिला अस्पताल भेजा गया था। सोनू की चोट गम्भीर होने के कारण उसे लखनऊ रिफर किया गया था। मेरी देवरानी अनुराधा ने मुकदमा दर्ज कराया था। मारपीट होते मैंने सबको देखा था व पहचाना था। दरोगा जी ने मुझसे पूछताछ किया था। **साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा किया गया** तो उसने कथन किया कि ओंकार मेरे देवर तथा हरीराम मेरे जेठ है। मेरे पति व उक्त दोनों लोग लल्ली के लड़के है। हम लोगो का बंटवारा है व घर भी अलग–अलग है। जानकी मेरे ममिया ससुर के लड़के है और मेरे जेठ लगते है। जानकी का घर मेरे घर से दो घर पीछे है। मै यह नही जानती हूँ कि जानकी और अनुराधा ने परिवार में जमीन का विवाद था या नही। मुझे यह जानकारी नही है कि अनुराधा की जमीन मस्तान नामक आदमी खरीदकर जानकी को बेंच दिया था। मेरे सामने जमीन का कोई विवाद कभी नही हुआ था। मेरा गांव कुरथा है। अहिरन पुरवा से कुरथा गांव लगभग 2–3 कोस दूर होगा। जानकी अहिरन पुरवा के रहने वाले है। कुछ खेत खरीदा गया था मै नही जानती हूँ मेरी सास जानती होगी। घटना के दिन मेरे आदमी बीमार थे और मेरी सास दो साल की बच्ची को खिला रही थी। मै अपने आदमी के पास ही थी। मैने शोर सुना था। जहाँ से शोर सुना था वहाँ से मेरा घर दो–चार कदम दूरी पर था। जब मै घटनास्थल पर पहुंची तो चोटहिलों को चोट खाये पड़े देखा था। जब मै पहुँची तब शिवा होश में था कुन्नु बेहोश थे। अनुराधा भी चोट खाये पड़ी थी। चोटहिलों के काफी खून निकला था। सबके कपड़े खून से भीग गये थे। उस दिन मोहर्रम का त्यौहार था। टेंपो लाया गया था उसी से सबको ले जाकर अस्पताल पहुंचाया गया था। मेरे आदमी बालक राम उन्हें लेकर गए थे। अस्पताल 3:30 बजे गए थे और रात में लौटकर घर आए थे। मुझे नहीं पता है कि मेरे पति जब अस्पताल से लौट कर आए तब उन्होंने यह जानकारी दिया हो की जानकी व उनकी पत्नी व बेंचू की पत्नी के विरुद्ध एफ०आई०आर० लिखी गई है या नहीं। गुड़िया और श्यामा की चोटे नहीं देखी थी। मुझे यह भी जानकारी नहीं है कि बेचू पक्ष की तरफ से मेरे परिवार के विरुद्ध एफ०आई०आर० दर्ज हुई हो। दरोगा जी गांव आए थे परंतु मैं और मेरे पति बालकराम बाजार गए थे। घटना के एक माह बाद दरोगा जी गांव आए थे, पहले जानकी के घर गए फिर मेरी सास के घर गए थे। मेरे साथ दरोगा जी घटनास्थल पर कभी नहीं गए थे न ही मुझसे व मेरे पति से पूछताछ ही किए थे। यह कहना गलत है कि मैने अपनी आंखों से झगड़ा ना देखा हो और मात्र लल्ली की बहू होने के कारण झूठी गवाही दे रही हूं। सोनू एक माह बाद लखनऊ से घर आए थे क्योंकि उन्हें उल्टी रुक नहीं रही थी। अनुराधा करनैलगंज से घर वापस आ गई थी। रामलली, सोनू को लाने लखनऊ चली गई थी। यह कहना गलत है कि दोनों पक्ष में जमीन के विवाद को लेकर अनुराधा तथा गुड़िया व श्यामा में झगड़ा हुआ हो। यह

कहना गलत है कि काफी भीड़ होने के कारण उसमें गिरने से उन्हें चोट आई हो। यह कहना गलत है कि अनुराधा व लल्ली आदि के मारने से गुड़िया व श्यामा को चोट आई हो और उसका मुकदमा उनके खिलाफ लिखा गया हो। यह कहना गलत है कि मैं दोनों तरफ के विवाद व चोटों के बारे में जानबूझकर झूठ बोल रही हूं। यह कहना गलत है कि बेचू व उसकी पत्नी कोई मारपीट ना कि हो।

17– अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 6 बालकराम ने सशपथ बयान में कथन किया है कि घटना दिनांक 09.08.2022 समय करीब दोपहर 03.00 बजे की है। अनुराधा मेरे छोटे भाई की पत्नी थी जिसको उसके घर पर चढ़कर जानकी की पत्नी, देवी प्रसाद उर्फ बेचू व बेचू की पत्नी, मन्ना व राजेश गाली गुप्ता देते हुए लाठी–डण्डा व बांका से मारने–पीटने लगे। शोर पर मेरे परिवार के शुभम, शिवा व मेरी मां रामलली तथा सोनू बचाने गये तब उन्हे भी मारा पीटा। शोर सुनकर मै और मेरी पत्नी गीता घर से बाहर निकले तो देखा कि अनुराधा को बांका से बेचू ने मारा, हाथ से रोकने पर उसका हाथ कट गया। शेष शेष लोगों को लाठी–डण्डा से मारा जिसमें शिवा का हाथ टूट गया। रामलली व सोनू को सिर पर गम्भीर चोटे आयी। शोर पर बीच–बचाव करने गांव के और लोग आ गये तो धमकी देते हुए भाग गये और कह रहे थे कि जमीन छोड़ दो वरना जान से मार देंगे। अनुराधा ने मामले में रिपोर्ट लिखायी थी। उक्त लोगों की डाक्टरी सरकारी अस्पताल में हुई थी। सोनू व रामलली को गोण्डा जिला अस्पताल में रिफर किया गया था। सोनू को जिला अस्पताल से चोट गम्भीर होने के कारण के०जी०एम०यू० मेडिकल कॉलेज लखनऊ रिफर किया गया था। घटना मैंने अपनी आंखों से देखी थी और मुल्जिमानों को मारपीट करते अपनी आंखों से देखा था। मेरी पत्नी ने भी मारपीट की घटना को अपनी आंखों से देखा था। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था। **साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा किया गया** तो उसने कथन किया कि अनुराधा के घर के पश्चिम अनुराधा की जमीन थी। उन्होने मस्तान को बैनामा लिखा दिया था। मस्तान से बैनामा जानकी ने लिखा लिया था। सहन की जमीन लगभग 6 बिस्वा थी। जानकी ने जमीन खाली करने को अनुराधा से कहा था। उसी जमीन को लेकर विवाद हुआ था। मेरा व उनका दरवाजा अगल बगल है सामने ही जमीन है। शोर सुनकर मै बाहर निकला था। उस समय बच्चे बाहर थे। मेरी पत्नी और औरते वहाँ पर थी। जब बाहर निकला तो देखा कि अनुराधा, मोनू, शुभम, रामकली चोट खाये पड़े थे। गाँव का कोई नही आया था। मै उनको टेम्पो में लादकर थाने ले गया। थाने लगभग 4 बजे पहुँच गया था। दरोगा जी को बताया कि जानकी और उसके परिवाले मार–पीट किये है तब दरोगा जी एक कागज लिखवाया और अनुराधा का अंगूठा लगवाया। वहाँ से मै घर वापस चला आया। अनुराधा और उसके लड़के अस्पताल चले गये। अनुराधा दूसरे दिन घर लौटी। मेरे चोट नही लगी थी क्योकि मुझे नही मारे थे। दो–तीन बार दरोगा जी गांव आये थे। दरोगा जी मुझसे पूँछे थे तब मैने घटना के बारे में बताया था।

मैने घटना के दिन ही बताया था, उसके बाद मेरी मुलाकात नही हुई थी। मै गुड़िया व श्यामा को जानता हूँ, उनके चोट नही लगी थी। ये दोनो जानकी के घर की थी। हम लोग तुलसा गांव के रहने वाले है। घटनावाले गांव में नेवासा पाया है। घटनास्थल से करनैलगंज लगभग 2 किमी० दूर है तथा करनैलगंज से मेरा पैतृक गांव कुरथा 6 किमी है। जानकी के घर के बगल हम लोगो हम लोगो ने जमीन खरीदा था जो बाबूराम से खरीदा था। इसकी पूर्व कोई जमीनी विवाद नही हुआ था। जब मस्तान ने अनुराधा से जमीन खरीद कर जानकी को बेच दिया तब यह विवाद हुआ। यह सही है कि मेरे घर के सामने इन्दर, जगदेव, करिया, कंधई, रामदास के मकान बने है। गांव में लगभग 20 मकानात बने है। झगड़ा के समय मेरे गांव व परिवार का कोई व्यक्ति नही आया था। मस्तान झगड़ा शुरु होने के पहले भाग गया। यह कहना गलत है कि मै परिवारवालों के सिखाने–पढ़ाने पर झूठी गवाही दे रहा हूँ। यह कहना गलत है कि जब मस्तान से जानकी ने जमीन खरीद लिया तब हमारे परिवारवालें जानकी को गाली–गुप्ता देने लगे। गाली देने से गुड़िया व श्यामा मना करने आयी तब उन्हे मारा पीटा गया हो। यह कहना गलत है कि गांववालों के आने एवं भाग दौड़ में गिरने से अनुराधा, सोनू, रामलली, शुभम को चोटे आयी हो।

18– अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 7 **डा० पवन कुमार** (रेडियोलॉजिस्ट) ने सशपथ बयान में कथन किया है कि दिनांक 10.08.2020 को मेरे द्वारा सोनू जिसको ई०एम०ओ० द्वारा रिफर किया गया था, के सिर का सी०टी० स्कैन किया गया, जिसके अनुसार हैमरेज विद फ्रैक्चर राइट पैरीटल रीजन पाया गया। मजरूब के अंगूठे के निशान मेरे द्वारा प्रमाणित किया गया। सी०टी० स्कैन नं०–एम–155 रिपोर्ट संलग्न पत्रावली कागज सं0–5/13 मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसे मैं प्रमाणित करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया। दिनांक 10.08.2022 को मेरी नियुक्ति सीनियर रेडियोलॉजिस्ट के पद पर जिला चिकित्सालय, गोण्डा में थी। सी०टी० स्कैन की प्लेट संलग्न पत्रावली है जिस पर एम–155 का स्टीकर लगा हैं, जिसे मैं प्रमाणित करता हूँ, जिस पर वस्तु प्रदर्श–1 डाला गया। विवेचक ने इस सम्बन्ध में जो जानकारी चाही थी वह जानकारी मैंने दिया था। **साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा किया गया** तो उसने कथन किया कि मजरुब आपातकालीन चिकित्सा कक्ष से मेरे सामने लाया गया था। सी०टी० स्कैन रिपोर्ट प्रदर्श क–2 किस पुलिस द्वारा लाया गया था उसका नाम और हस्ताक्षर नही है। मजरुब के सिर में टूटन जो सी०टी० स्कैन में आयी हुई दिखाया गया है वह लगभग 4 दिन व एक सप्ताह पुरानी रही होगी। मजरूब के गिरने की दशा में यदि किसी सख्त सतह से मजरूब टकराया हो तो यह टूटन आना सम्भव है।

19– अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू० 8 दिनेश कुमार** (चिक लेखक) ने सशपथ बयान में कथन किया है कि दिनांक 09.08.2022 को मैं बतौर हेड मोहर्रिर थाना करनैलगंज में तैनात था। उस दिन वादिनी अनुराधा द्वारा दिये गये टाइपशुदा प्रार्थना पत्र जिस पर

वादिनी अनुराधा का हस्ताक्षर बना था, के आधार पर अ०सं०–371/2022, अन्तर्गत धारा 323, 504, 506 भा०द०सं० विरूद्ध अभियुक्तगण जानकी, जानकी की पत्नी, बेचू, बेचू की पत्नी कुल 4 नफर अभियुक्तगण मेरे द्वारा बोल–बोलकर सी०सी०टी०एन०एस० प्रणाली के माध्यम से तैयार एफ०आई०आर० मूलरूप से पत्रावली में कागज सं0–4/1 लगायत 4/3 के रूप में संलग्न है, जिस पर थाना प्रभारी करनैलगंज का हस्ताक्षर बना है तथा थाने की मुहर लगी है, जिसे मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श क–3** डाला गया। इसी के साथ मेरे द्वारा इस मुकदमें की कायमी जी०डी० सं०–39 दिनांक 09.08.2022 समय 16:59 बजे मु०अ०सं०–371/2022, धारा–323, 504, 506 भा०दं०सं० भी दर्ज करायी गयी थी जो शामिल पत्रावली 4/4 है जिसे मै तस्दीक करता हूँ जिस पर **प्रदर्श क–4** डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था। **साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा किया गया** तो उसने कथन किया कि मुकदमा मूलतः धारा 323, 504, 506 भा०दं०सं० में दर्ज हुआ था। टाइपसुदा तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था। मुझे यह पता नहीं है कि तहरीर कहां टाइप हुई थी। वादिनी के साथ वादिनी के परिवार के लोग आए थे जिनका नाम याद नहीं है। मुझे चिक किता करने में 5 मिनट लगा था। मेरे सामने चिट्ठी मजरुबी कागज संख्या 5/5 लगायत 5/9 तैयार की गई थी। शुभम को एक चोट दर्शायी गई थी। अनुराधा, शिवा, रामलली और सोनू की चिट्ठी मजरूबी बनाई गई थी। अनुराधा ने पूरे शरीर में दर्द बताया था। शिवा ने बाँए पैर व दाहिने हाथ पर चोट बताया था। रामलली ने दाहिने पैर व दाहिने हाथ में चोट बताई थी। सोनू के सिर पर एक चोट लगी थी। सभी मजरुबान सामान्य स्थिति में मेरे सामने आए थे जिनको देखने व उनके बताने पर चिट्ठी मजरुबी तैयार की गई थी। किसी भी चिट्ठी मजरुबी में धारा को उल्लेख नहीं किया गया है। चिट्ठी मजरुबी में लिखी गयी चोटे जो मजरुबान के बताने पर लिखी गयी थी उसका उल्लेख कायमी प्रदर्श क–4 पर किया गया है। वादिनी चिक किता करते समय मौजूद थी। यह सही है कि प्रदर्श क–3 पर निर्धारित स्थान कॉलम 14 पर वादिनी का हस्ताक्षर व अंगूठा नही लिया गया है। यह कहना गलत है कि चिकित्सीय आख्या प्राप्त होने के उपरांत चिट्ठी मजरुबान पर अ०सं० का उल्लेख किया गया हो। यह भी कहना गलत है कि एण्टी टाइम समय था उल्लेख करते हुए प्रदर्श क–3 व प्रदर्श क–4 तैयार किया गया हो।

20– अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू० 9 अमर सिंह** (उप निरीक्षक) ने सशपथ बयान में कथन किया है कि मैं दिनांक 09.08.2022 को थाना करनैलगंज में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था। उस दिन थाने में दर्ज मुकदमा अ0सं0–371/2022 धारा–323, 504, 506 भा०दं०सं० की विवेचना मुझे प्राप्त हुई। विवेचना ग्रहण के उपरान्त उसी दिन पर्चा नं0 1 किता किया गया था जिसमें नकल चिक, नकल रपट व मजरूबा अनुराधा, शिवा, रामलली, सोनू, शुभम के मेडिकल प्रपत्र का अवलोकन कर उसका

इन्द्राज केस डायरी में किया गया तथा एफ०आई०आर० लेखक हेड मोहरिर दिनेश कुमार के बयान अंकित किये। दिनांक 12.08.2022 को पर्चा नं0–02 किता किया गया जिसमें वादिनी अनुराधा मजरूबा रामबली, शुभम व शिवा के बयान अंकित किये गये तथा वादिनी के निशानदेही पर निरीक्षण घटना स्थल कर नक्सा नजरी तैयार किया गया। नक्सा नजरी कागज सं0 5/10 संलग्न पत्रावली है जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। जिसकी मैं पुष्टि करता हू, जिस पर **प्रदर्श क–5** डाला गया। दिनांक 17.08.2022 को पर्चा नं०–3 किता किया गया जिसमें चछुदर्शी साक्षी गीता का बयान अंकित किया गया एवं गांववालो से घटना के सम्बन्ध में जानकारी की गयी तो उन लोगो ने नाम पता बताये बिना अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित किया जाना बताया। तत्पश्चात अभियुक्तगण की तलाश की गयी दश्तयाब नहीं हुए। दिनांक 25.08.2022 को पर्चा नं 04 किता किया गया जिसमें चक्षुदर्शी साक्षी बालकराम के बयान अंकित किये गये तथा वादिनी मुकदमा से मजरूब सोनू के बारे में जानकारी ली गयी तो बतायी कि वह स्वस्थ नहीं है इलाज चल रहा है। दिनांक 05.09.2022 को पर्चा नं 05 किता किया गया जिसमें मजरूबगण के सी०टी० स्कैन व मेडिकल रिपोर्ट के बारे जिला अस्पताल गोण्डा से आख्या आहूत की गयी। दिनांक 07.09.2022 को पर्चा नं 06 मजरूब सोनू के सी०टी० स्कैन रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसमें मजरूब सोनू के पैराइटल बोन में फ्रैक्चर होना पाया गया जिसमें मुकदमा उपरोक्त मे धारा–308 भा०दं०सं० की बढोत्तरी की गयी। अग्रिम विवेचना धारा–323, 504, 506, 308 भा०दं०सं० में संपादित की जायेगी। तत्पश्चात वापस वादिनी के गांव सकरौरा ग्रामीण अहिरन पुरवा आया मजरूब सोनू के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी। दिनांक 20.09.2022 को पर्चा नं0–07 किता किया गया जिसमें मजरूब सोनू के बयान अंकित किये गये तथा मुकदमा उपरोक्त के अभियुक्तों की तलाश की गयी। दिनांक 05.10.2022 को पर्चा नं 8 किता किया गया जिसमें डा० पवन सी०एम०ओ० गोण्डा मजरूब सोनू के सी टी स्कैन रिपोर्ट दिखाकर पूछताछ की गयी तो बताया कि उसके पैराइटल बोन में फ्रैक्चर पाया गया। तत्पश्चात मुकदमें के नामित अभियुक्तगण की तलाश की गयी नहीं मिले। दिनांक 30.10.2022 को पर्चा नं0–09 किता किया गया जिसमें मजरूब सोनू के बेडहेड टिकट डिपार्टमेंट आफ न्यूरो सर्जरी गांधी मेमोरियल हास्पिटल के० जी० एम० यू०, लखनऊ का अवलोकन कर संलग्न सी० डी० की गयी एवं डा० प्रितेश कुमार यादव के बयान अंकित किये गये एवं अभियुक्त जानकी प्रसाद, श्यामा पत्नी जानकी प्रसाद, देवी प्रसाद उर्फ बेचू व गुड़िया पत्नी देवी प्रसाद के बयान अंकित किये गये। तत्पश्चात तमामी विवेचना बयान वादी बयान मजरूब, बयान गवाहान अवलोकन मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर नामित अभियुक्तगण जानकी, श्यामा, देवी प्रसाद व गुड़िया के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा–323, 504, 506, 308 भा०दं०सं० माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया। आरोप–पत्र कागज सं–5/18 त 5/25 के रुप

में संलग्न पत्रावली है जिस पर बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता हू। जिसपर प्रदर्श **क–06** डाला गया। **साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा किया गया** तो उसने कथन किया कि विवेचना मुझे 08.09.2022 को मिली थी। मेरी उपस्थित में मुकदमा दर्ज हुआ था। मेरी मुलाकात वादी से थाने पर नही हुई थी। घटनास्थल पर मैं 12.08.2022 को पहुँचा। केस डायरी में मैने समय का उल्लेख नही किया। पर्चा नं०–2 पर पहले दिनांक 30.08.2022 लिखा गया फिर ओवर राइटिंग करके 12.08.2022 किया गया। यह किसके द्वारा किया गया मुझे याद नही है। मैंने नक्शा नजरी में गाँव की आबादी घटनास्थल से किस तरफ है, दर्शित नहीं किया है। 'ए' स्थान घटनास्थल है। यह भी सही है कि मैंने घटनास्थल से बी, सी, डी, और ई स्थान की दूरी नहीं दर्शायी है। यह भी सही है कि मैंने घटनास्थल के पास गवाहो की उपस्थित कहाँ पर थी यह मैंने नक्शा नजरी में नहीं दिखाया है। यह भी सही है कि नक्शा नजरी में घटनास्थल के स्थान पर न मुझे कोई खून मिला और न ही झगड़े व विवाद के कोई निशानाख्त दर्शाये गये हैं। यह सही है कि मुकदमा 323, 504 व 506 भा०दं०सं० में कायम हुआ। यह भी सही है कि वादिनी मुकदमा अनुराधा ने केवल मारपीट में चोटे आना दर्शाया है किसी मजरूब के मरणासन होना व गंभीर रूप से घायल होना नहीं लिखाया गया है। मेडिकल का अवलोकन मैंने किया था। मेडिकल बाद में हुआ है रिपोर्ट पहले लिखी गयी थी। यह सही है कि धाराओं का उल्लेख चिट्ठी मजरुबियों में मुकदमे की धारा का उल्लेख नहीं किया गया है केवल अपराध संख्या का उल्लेख किया गया है। मैंने डॉक्टर का बयान लिया है। यह सही है कि किसी भी डॉक्टर ने अपने बयान में मजरूब के चोटो की गंभीरता के संबंध में मृत्यु कारित अथवा मृत्यु के लिए पर्याप्त होना नहीं दर्शाया है। मैंने पेरिटल बोन के फ्रैक्चर के आधार पर 308 में मुकदमा तरमीम किया था, धारा 325 भा०दं०सं० में नहीं किया था। यह सही है कि पर्चा नं०–9 में मैंने डॉक्टर प्रतेश कुमार का बयान लिया है जिनसे डायगनोसिस हेड इंजरी के बारे में जानकारी ली गयी उन्होंने भी चोट को मृत्यु कारित होना नहीं बताया है। गवाहो ने केवल जमीनी विवाद होना दर्शाया था, कौन सा जमीनी विवाद इस संबंध में कोई बयान नहीं दिया था। पत्रावली में संलग्न प्रपत्र पुलिस द्वारा ही तलक किये गये थे, प्राइवेट व्यक्ति द्वारा नही किया गया था। यह सही है कि किसी भी गवाह ने किसी व्यक्ति विशेष अथवा मुल्जिम द्वारा सोनू मजरूब को आयी एक मात्र चोट जिसमें फ्रैक्चर होना कहा गया, स्पेसिफिक नहीं दर्शाया गया है। सभी नामजद व्यक्तियो पर सामान्य आरोप दर्शाये गये हैं। यह सही है कि मुल्जिमान में दो व्यक्तियो को नामित करते समय उनकी पत्नियों को भी मुल्जिम बनाया गया था उसी आधार पर सबके विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया था। यह कहना गलत है कि मैंने अपने थाने पर ही बैठकर विवेचना की औपचारिकता पूरी की। यह भी कहना गलत है कि न मैं घटनास्थल पर गया, न ही मैंने घटनास्थल के समीप गांव के किसी व्यक्ति या गवाहों का बयान लिया। यह भी कहना गलत है कि मैंने

राजनीतिक व आर्थिक दबाववश सभी मुल्जिमान के खिलाफ गलत तरीके से धारा 308 भा०दं०सं० में आरोप पत्र दाखिल किया।

21– अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू० 10 डा० मोहम्मद मुदस्सिर** (मेडिकल ऑफिसर) ने सशपथ बयान में कथन किया है कि दिनांक 09.08.2022 को मैं सी0 एच 0 सी० कर्नलगंज में मेडिकल ऑफिसर के पद पर तैनात था। उस दिन महिला आरक्षी एकता सिंह के द्वारा समय 6:15 पी०एम० पर मजरूब **शुभम यादव** पुत्र स्वर्गीय ओमकार यादव उम्र करीब 10 वर्ष निवासी ग्राम सकरौरा ग्रामीण थाना–करनैलगंज जनपद गोण्डा को मेरे समक्ष चिकित्सीय परीक्षण हेतु लाया गया था। मजरूब का पहचान चिन्ह व निशानी अंगूठा लेकर उसका चिकित्सीय परीक्षण मेरे द्वारा किया गया था। मजरुब के शरीर पर निम्न चोटे पाई गई थी– दाहिने पैर में दर्द की शिकायत बतायी गयी लेकिन जाहीरा चोट नहीं पाई गई। पत्रावली में शामिल इंजरी रिपोर्ट कागज संख्या 5/5 मेरे हस्ताक्षर वह हस्तलेख में है जिसे मैं प्रमाणित करता हूं जिस पर **प्रदर्श क–7** डाला गया। उसी दिन समय करीब 6.00 पी०एम० पर उक्त महिला आरक्षी द्वारा मजरूबा अनुराधा पत्नी स्व० ओमकार उम्र करीब 32 वर्ष निवासी उपरोक्त को चिकित्सा परीक्षण हेतु मेरे समझ लाया गया था। मजरूबा का पहचान चिन्ह और निशानी अंगूठा लेकर उसका चिकित्सीय परीक्षण किया गया था। उसके शरीर पर निम्न चोटे पायी गयी–

(1) फटा हुआ घाव 4 सेमी० X 0.1 सेमी० बाँए हथेली पर इंडेक्स व मिडिल फिंगर के बीच में।

(2) नीलगू निशान 8 सेमी० X 4 सेमी० स्केपलर रीजन में।

(3) सर में दर्द की शिकायत

अभिमत– चोट नंबर 1 व 2 साधारण प्रकृति की थी जो सख्त व कठोर कुंदालय से आई हुई प्रतीत हो रही थी। चोट लगभग 3 घंटे पुरानी थी। चोट नंबर 3 में कोई जाहिरा चोट नहीं थी। चिकित्सीय आंख्या शामिल पत्रावली कागज संख्या 5/6 मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिसे मैं प्रमाणित करता हूं जिस पर **प्रदर्श क–8** डाला गया। उसी दिन समय करीब 5:50 पीएम पर उक्त महिला आरक्षी द्वारा मजरूब शिवा पुत्र स्व० ओमकार यादव निवासी उपरोक्त को मेरे समझ चिकित्सीय परीक्षण हेतु लाया गया था। मजरूब का पहचान चिन्ह, निशानी अंगूठा अंकित करते हुए उसका चिकित्सीय परीक्षण मेरे द्वारा किया गया था। मजरूफ के शरीर पर निम्न चोटे पायी गयी थी–

(1) दर्द व हल्की सूजन दाहिनी कलाई के पिछले हिस्से पर 4 सेमी० X 2 सेमी० के एरिया में।

(2) खरोंच 2 सेमी० X 0.3 सेमी० बाँए एंकिल ज्वाइण्ट के पिछले हिस्से में।

(3) सूजन 4 सेमी० X 3 सेमी० बाँए घुटने पर

अभिमत– सभी चोटें साधारण प्रकृति की थी जो किसी सख्त कुंदालय से आई हुई

प्रतीत हो रही थी। चोटे करीब तीन घण्टे पुरानी थी। उसी दिन समय करीब 5:10 पी०एम० मजरुबा रामलली उम्र करीब 65 वर्ष पत्नी स्व० रामतेज निवासी पता उपरोक्त को महिला आरक्षी एकता सिंह द्वारा चिकित्सीय परीक्षण हेतु मेरे समक्ष लाया गया था। उसकी पहचान चिन्ह, निशानी अंगूठा अंकित कर उसका चिकित्सीय परीक्षण मेरे द्वारा किया गया। मजरूबा के शरीर पर निम्न छोटे पायी गयी थी–

(1) खरोंच 0.2 सेमी० X 0.1 सेमी० बाँए अग्रभुजा पर अन्दर की तरफ कलाई से 08 सेमी० ऊपर।

(2) दर्द व सूजन दाहिने पैर में 10 सेमी० X 8 सेमी० एरिया में जिसे एक्स–रे हेतु रिफर किया गया था।

अभिमत– चोट नं०–1 साधारण प्रकृति की थी जो किसी कठोर एवं सख्त कुंन्दाले से आयी हुई प्रतीत हो रही थी। चोटे लगभग दो घण्टे पुरानी थी। चोट नंबर 2 के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन की राय तथा एक्स–रे हेतु जिला अस्पताल गोण्डा के लिए रेफर किया गया था। चिकिस्तीय प्रपत्र कागज संख्या–5/8 संलग्न पत्रावली है जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिसे मै तस्दीक करता हूँ जिस पर **प्रदर्श क–10** डाला गया। मजरुब शिवा का चिकित्सीय प्रपत्र कागज संख्या–5/7 संलग्न पत्रावली है जिस पर मेरे हस्ताक्षर है जिसे मै प्रमाणित करता हूँ जिस पर **प्रदर्श क–9** डाला गया। उसी दिन 05.25 पी०एम० पर उपरोक्त महिला आरक्षी द्वारा मजरुब सोनू उम्र करीब 12 वर्ष पुत्र हरीराम निवासी पता उपरोक्त को मेरे समक्ष चिकित्सीय परीक्षण हेतु लाया गया था जिसका पहचान चिन्ह, निशानी अंगूठा अंकित कर उसका चिकित्सीय परीक्षण मेरे द्वारा किया गया। मजरूब के शरीर पर निम्न चोटे पायी गयी।

(1) दर्द व उल्टी की शिकायत तथा सिर की ऊपरी हड्डी कुछ दबी हुई थी जिसे सी०टी० स्कैन व विशेषज्ञ राय हेतु जिला अस्पताल गोण्डा भेजा गया था। चिकित्सीय रिपोर्ट कागज संख्या–5/9 संलग्न पत्रावली है जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिसे मै प्रमाणित करता हूँ जिस पर **प्रदर्श क–11** डाला गया। **साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा किया गया** तो उसने कथन किया कि शुभम के शरीर पर कोई जाहिरा चोट नही पायी गयी थी। अनुराधा के शरीर पर पायी गयी दोनो चोटे गिरने से भी आ सकती है। अनुराधा को आयी चोटे साधारण किस्म की है और मर्मस्थल पर नही है। शिवा मजरुब के शरीर पर आयी चोटे सामान्य प्रकृति की सूजन व खराश है। ये चोटे भी मर्मस्थल पर नही है। रामलली के शरीर पर एक मात्र खराश छोटा सा पाया गया जो रग़ड़ से भी आ सकता है। मजरूब सोनू की एक मात्र चोट सिर के ऊपर दिखायी पड़ी थी जिसे उचित राय हेतु जिला अस्पताल भेजा गया था। इसकी कोई पूरक रिपोर्ट मेरे द्वारा नही दी गयी थी। यह चोट किसी सख्त चीज पर गिरने या टकराने से भी आ सकती है। यह सही है कि किसी भी चिट्ठी मजरूबी पर मुकदमे की धाराओं का उल्लेख नही है। मेरा कोई बयान विवेचक ने नही लिया था।

22– अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू० 11 डा० प्रितेश यादव** ने सशपथ बयान में कथन किया है कि दिनांक 11.08.2022 को मै के०जी०एम०यू० लखनऊ में न्यूरो सर्जन विभाग में कार्यरत था। उस दिन मजरूब/चोटहिल सोनू इलाज के लिये के०जी० एम०यू० में न्यूरो डिपार्टमेण्ट में लाया गया था। डॉक्टर की पूरी टीम यूनिट III में उपस्थित थी और मजरूब सोनू का इलाज यूनिट III की पूरी टीम द्वारा किया गया था। मजरूब सोनू 11.08.2022 को भर्ती हुआ था और दिनांक 13.08.2022 को वह डिस्चार्ज हुआ था। पुलिस रिपोर्ट फॉर्म दिनांक 12.08.2022 इस आशय का है कि मरीज हमारे यहां भर्ती हो गया है, मैं इसे तस्दीक करता हूँ। कागज सं0–45क/4 भर्ती करने वाला फाइल का प्रथम पेज होता है जिसमें मरीज का पूरा डायग्नॉसिस लिखा जाता है। कागज सं0–45क/5 व 45क/7 यह मरीज की हिस्ट्री है, जिन्हें मैं तस्दीक करता हूँ। कागज सं0–45क/6 का सम्बन्ध मरीज के बयान से सम्बन्धित है, जो मेरे सामने हुआ था जिसे मैं तस्दीक करता हूँ। कागज सं0–45क/8 व 45क/9 मरीज के हाई रिस्क कंसेन्ट ऑफ पेशेंट से सम्बन्धित है, ये भी मेरे सामने लिखा गया था जिसे मैं तस्दीक करता हूँ। कागज सं० 45क/10 डिस्चार्ज समरी है, जिस पर दिनांक 13.08.2022 लिखा हुआ है, इसे भी मैं तस्दीक करता हूँ। कागज सं0–45क/11 मरीज का वाइटल चार्ट है, जो 12.08.2022 व 13.08.2022 को तैयार किया गया है, इसे भी मैं तस्दीक करता हूँ। कागज सं0–45क/12 दिनांक 13.08.2022 का मरीज का इग्जामिनेशन से सम्बन्धित है, इसे मैं तस्दीक करता हूँ। कागज सं0–45क/13 इंवेस्टीगेशन चार्ट मरीज सोनू का है, इसे भी मैं तस्दीक करता हूँ। कागज सं0–45क/14 ये मरीज सोनू की इंवेस्टीगेशन रिपोर्ट है जो 12.08.2022 का है, इसे मैं तस्दीक करता हूँ। कागज सं0–45क/15 गोण्डा जिला अस्पताल से लखनऊ रिफर करने से सम्बन्धित कागज है, इसे मैं तस्दीक करता हूँ। कागज सं०–45क/16 इमरजेन्सी मेडिकल पर्चा है, जिसे मैं तस्दीक करता हूँ। कागज सं0–45क/1 लगायत 45क/16 तक मैं तस्दीक करता हूँ। ये प्रपत्र मेरे रेख–देख व उपस्थिति में तैयार किये गये थे जिन्हें मैं प्रमाणित करता हूँ। संलग्न समस्त प्रपत्रों को संयुक्त कर **प्रदर्श क–12** डाला गया। **साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा किया गया** तो उसने कथन किया कि ये सही है कि जो प्रपत्र प्रदर्श क–12 के रूप में साबित हुए है, वो कागज 45क/1 लगायत 45क/16 सारे छायाप्रतियां है, कोई मूल प्रपत्र नहीं है। यह सही है कि मरीज सोनू को कथित इंजरी कब और किन परिस्थितियों में आयी, उस पर हमारी कोई राय नहीं है। हमारे द्वारा केवल मरीज का इलाज किया गया है। प्रदर्श क 12 में दर्शित सारे पेपर्स इलाज से सम्बन्धित है जो मेरे द्वारा किया गया है। चोट की आख्या से सम्बन्धित नहीं है। मरीज के पैरोकार मरीज के पिता हरीराम व दादा हरिशंकर ने बताया था कि किसी लड़ाई झगड़े में लड़के को चोट आयी थी जिसे उपचार के लिये जिला अस्पताल ले जाया गया था जहां से रिफर कराया गया था। मरीज की चोट किन्हीं परिस्थितियों में

किसी चीज़ से टकरा जाये अथवा हार्ड सर्फेस पर टकरा जाये या गिर जाये तो चोट आ सकती है। यदि मरीज भैंस पर बैठा हो और गिर जाये किसी पत्थर पर टकराने से आ सकती है।

23– <u>विचारणीय बिन्दु–</u>

पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का सम्यक अवलोकन व परिशीलन मेरे द्वारा किया गया। मामले के विधि पूर्ण निस्तारण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दुओं का अवधारण किया जाना आवश्यक है–

I- क्या अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा के भतीजे सोनू के सिर पर लाठी व डण्डा से मार–पीट कर आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न किया एवं अन्य मजरुबों को गाली गलौज करते हुए मार–पीट कर उपहति कारित की?

24– <u>विचारणीय बिन्दु संख्या–I पर विनिश्चय</u>

विचारणीय बिन्दु संख्या–I इस आशय का विरचित किया है कि क्या अभियुक्तगण ने वादिनी मुकदमा के भतीजे सोनू के सिर पर लाठी व डण्डा से मार–पीट कर आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न किया? इस प्रश्न के सकारण विश्लेषण हेतु निम्नलिखित साक्षीगण का साक्ष्य का विश्लेषण किया गया।

25– अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–1 अनुराधा वादिनी ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि दिनांक 09.08.2022 को समय दोपहर 03:00 बजे भूमि विवाद को लेकर जानकी, बेचू उर्फ देवी प्रसाद, जानकी की पत्नी श्यामा, बेचू की पत्नी गुड़िया, मन्ना एवं राजेश उसके घर आए और लाठी–डण्डा एवं बांका से उसे तथा उसके परिवार के लोगों को मारा–पीटा। उसके बच्चे बचाने आए तो शिवा, शिवम, सोनू तथा उसकी सास रामलली को भी चोटें आईं। उसने यह भी कथन किया है कि सोनू को गंभीर चोट आई थी और उसे लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था। किन्तु उसके द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया कि सोनू के सिर पर किस अभियुक्त ने किस प्रकार का प्रहार किया तथा वह प्रहार किस प्रकार का था जिससे मृत्यु कारित होने की संभावना थी। साक्षी ने अवश्य कथन किया है कि बेचू ने बांका चलाया जो उसके हाथ में लगा। उसने यह भी कथन किया है कि झगड़ा घर के सामने हुआ था। PW–1 के कथन से मारपीट की घटना का समर्थन तो होता है, किन्तु सोनू पर किए गए किसी विशेष प्राणघातक हमले का स्पष्ट विवरण नहीं मिलता।

26– अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–2 रामलली ने कथन किया है कि भूमि विवाद को लेकर जानकी, उसकी पत्नी श्यामा, बेचू, उसकी पत्नी गुड़िया, मन्ना एवं राजेश आए और अनुराधा को मारने लगे। जब वह बचाने गई तो जानकी की पत्नी ने उसके बाल पकड़कर गिरा दिया तथा बेचू ने उसके पैर पर मारा। उसने यह भी कथन किया है कि सोनू, शिवा एवं शुभम को भी अभियुक्तों ने मारा। साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में

कथन किया है कि लड़ाई उसके दरवाजे पर शुरू हुई थी। उसने यह भी कथन किया है कि उसे कितनी लाठियां मारी गईं, वह नहीं बता सकती। उसने सोनू के सिर पर किस अभियुक्त द्वारा किस प्रकार का प्रहार किया गया, इसका कोई स्पष्ट विवरण नहीं दिया। साक्षी के बयान से यह तथ्य तो स्थापित होता है कि अभियुक्तगण ने मजरुबों से मारपीट तो की है लेकिन प्राणघातक प्रहार किये जाने का आशय एवं मजरूब सोनू को वह चोट किसने पहुँचायी यह प्रदर्शित नहीं हो रहा है।

27– अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–3 शिवा ने कथन किया कि घटना दिनांक 09.08.2022 की है। उसने बताया कि सुबह भूमि विवाद को लेकर झगड़ा हुआ था और बाद में अभियुक्तगण उसकी मां अनुराधा को मारने लगे। बचाने आने पर उसे, शुभम, सोनू एवं रामलली को भी चोटें आईं। साक्षी ने कथन किया है कि उसकी मां को बेचू ने बांका से मारा और जानकी ने लाठी से मारा। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी द्वारा कथन किया कि घटना के समय वह और सोनू भैंस चरा रहे थे। वह लगभग 2:00 बजे भैंस लेकर गया था तथा शोर सुनकर वापस आया। साक्षी ने यह भी कथन किया है कि जहां उसे और सोनू को चोट लगी, वहां से एक खेत बाद उसकी मां एवं दादी को चोट लगी थी। इस प्रकार सोनू को चोट लगने के स्थान के संबंध में PW–3 का कथन PW–1 के कथन से भिन्न व विरोधाभाषी है।

28– अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–4 सोनू स्वयं चोटहिल साक्षी है व प्रकरण में उस पर प्राणघातक चोटे आने का कथन है उसके द्वारा कथन किया गया है कि वह भैंस चराने गया था और पानी पीने घर आया तो देखा कि उसकी दादी, चाची एवं भाई को जानकी, उसकी पत्नी, बेचू, उसकी पत्नी तथा अन्य लोग मार रहे थे। साक्षी ने आगे कथन किया है कि जब उसने मना किया तो उसे भी मारा गया और बेचू ने उसके सिर पर मारा। परन्तु इस साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि वह घटना के दिन भैंस चरा रहा था। वह पानी पीने घर आया था। उसने आगे कथन किया है कि उसे चोट चाची व दादी वाले स्थान नही लगी थी बल्कि दूसरी जगह लगी थी। घर पहुंचने के एक घर पहले उसे चोट लगी तथा वहीं पर उसके भाई शिवा को भी चोट लगी थी। उसने यह भी कथन किया है कि उसकी चाची के हाथ से खून बह रहा था लेकिन उसके सिर से खून नहीं निकला था। साक्षी के साक्ष्य से यह दर्शित हो रहा है कि उसे व शिवा को दूसरी जगह पर चोटे आयी तथा उसकी दादी व मां को किसी अन्य जगह पर चोटें आयी। इस प्रकार साक्षी पी०डब्लू० 2 का साक्ष्य पी०डब्ल० 3 के साक्ष्य से सारवान विरोधाभाषों से ग्रस्त है। दोनो ही साक्षी द्वारा चोट लगने का स्थान अलग–अलग बताया जा रहा है जिससे बचावपक्ष की इस तर्क को अत्यधिक बल मिलता है कि साक्षी पी०डब्लू० 4 भैंस चराते समय वही पर गिर गया था जिससे उसके सिर पर चोट आयी थी। इसके अतिरिक्त साक्षी पी०डब्लू० 7 रेडियोलॉजिस्ट ने मजरूब पी०डब्लू० 04 के सिर पर आयी हुई चोटों को 4 दिन या एक सप्ताह पुरानी

बताया है जबकि मजरुब का सी०टी० स्कैन घटना के अगले दिन यानि दिनांक 10.08.2022 को ही किया गया है। इस प्रकार साक्षी पी०डब्लू० 3 के सिर पर आयी हुई चोट निश्चित रुप से साक्षी पी०डब्लू० 1 व 2 के कथनानुसार दिनांक 09.08.2022 को नही आयी है।

29– अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–5 गीता ने कथन किया कि भूमि विवाद को लेकर अनुराधा के साथ जानकी, उसकी पत्नी, बेचू एवं अन्य लोगों ने मारपीट की। वह और उसका पति शोर सुनकर बाहर आए तो सभी लोग मारपीट कर रहे थे। अभियुक्तगण ने बांका से अनुराधा को मारा था तथा सोनू को दौड़ाकर लाठी से मारे तो उसके मुँह से फेचकुर निकल आया। साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया कि जब वह मौके पर पहुंची तो चोटहिल लोग चोट खाए पड़े थे। साक्षी के बयान से यह स्पष्ट हो रहा है कि वह घटना की चश्मदीद नही है। मार–पीट होने के उपरान्त ही वह मजरूबों को देखी थी। उसने अभियुक्तगण को मजरुबो को मारते–पीटते नही देखा।

30– अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–6 बालकराम ने कथन किया कि शोर सुनकर वह और उसकी पत्नी गीता बाहर आए और देखा कि अनुराधा को बेचू ने बांका से मारा तथा अन्य लोगों को लाठी–डण्डे से मारा गया। साक्षी ने कथन किया है कि सोनू के सिर में गंभीर चोट आई थी। साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि जब वह बाहर निकला तो अनुराधा, सोनू, शुभम एवं रामलली चोट खाए पड़े थे। साक्षी के बयान से यह स्पष्ट हो रहा है कि वह घटना का चश्मदीद नही है। मार–पीट होने के उपरान्त ही वह मजरूबों को देखी थी। उसने अभियुक्तगण को मजरुबो को मारते–पीटते नही देखा।

31– चिकित्सीय साक्ष्य के रूप में पी०डब्लू०–10 डॉ० मोहम्मद मुदस्सिर ने चोटों के संबंध में स्पष्ट कथन किया है। उनके द्वारा मजरूबा **अनुराधा** के शरीर पर निम्न चोटें पाई गईं—

1– बायें हथेली पर तर्जनी एवं मध्यमा अंगुली के मध्य 4 सेमी० × 0.1 सेमी० का फटा हुआ घाव।

2– स्कैपुलर रीजन (कंधे के पीछे के भाग) में 8 सेमी० × 4 सेमी० का नीलगू निशान।

3– सिर में दर्द की शिकायत, परन्तु कोई जाहिरा चोट नहीं।

इसी प्रकार मजरूब **शिवा** के शरीर पर निम्न चोटें पाई गईं—

1– दाहिनी कलाई के पिछले हिस्से पर 4 सेमी० × 2 सेमी० क्षेत्र में दर्द एवं हल्की सूजन।

2– बायें एंकिल ज्वाइंट के पिछले हिस्से पर 2 सेमी० × 0.3 सेमी० की खरोंच।

3– बायें घुटने पर 4 सेमी० × 3 सेमी० की सूजन।

मजरूबा **रामलली** के शरीर पर निम्न चोटें पाई गईं—

1– बायें अग्रभुजा पर अंदर की तरफ कलाई से 8 सेमी० ऊपर 0.2 सेमी० ×0.1 सेमी० की खरोंच।

2– दाहिने पैर में 10 सेमी० × 8 सेमी० क्षेत्र में दर्द एवं सूजन, जिसके संबंध में एक्स–रे एवं विशेषज्ञ राय हेतु रेफर किया गया।

मजरूब **सोनू** के संबंध में चिकित्सक PW–10 ने सशपथ बयान में कथन किया है कि उसके सिर की ऊपरी हड्डी कुछ दबी हुई प्रतीत हुई, जिसके कारण उसे सी०टी० स्कैन एवं विशेषज्ञ राय हेतु जिला अस्पताल गोण्डा भेजा गया। प्रतिपरीक्षा में चिकित्सक ने स्वीकार किया कि ऐसी चोट किसी कठोर वस्तु पर गिरने अथवा टकराने से भी आ सकती है। साक्षी द्वारा समस्त मजरुबों की चोटो को प्राणघातक अथवा जीवन के लिए संकटकारी नहीं बताया है।

32– विवेचक साक्षी पी०डब्लू 09 ने स्पष्ट रुप से प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि यह सही है कि नक्शा नजरी में घटनास्थल के स्थान पर न उसे कोई खून मिला और न ही झगड़े व विवाद के कोई निशान ही मिले। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि वादिनी मुकदमा ने केवल मार–पीट में चोटे आना दर्शाया है। किसी मजरुब के मरणासन्न होना व गंभीर रुप से घायल होना तहरीर में नही लिखाया है। साक्षी ने यह भी स्वीाकर किया है कि उसने डॉक्टर का बयान लिया था परन्तु किसी भी डॉक्टर ने अपने बयान में मजरुब की चोटों की गम्भीरता के सम्बन्ध में मृत्यु कारित होना अथवा मृत्यु के लिए पर्याप्त होना नही दर्शाया है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि दो नामित मुल्जिमानों को नामित करते समय उनकी पत्नियों को भी मुल्जिम बनाया गया था उसी आधार पर सबके विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया था। इस प्रकार विवेचक के साक्ष्य से भी स्पष्ट हो रहा है कि मामले के मजरूब पी०डब्लू० 4 को आयी चोट किसी भी प्रकार से प्राणघातक नही थी।

33– साक्षी पी०डब्लू० 1 ने अपने सशपथ में कथन किया है कि सड़क के तरफ उसकी तथा दूसरी तरफ मस्तान चिकवा की जमीन है। मस्तान की जमीन अभियुक्त जानकी ने घटना के पहले खरीद लिया था। जो जमीन जानकी ने मस्तान से खरीदा वह जमीन उसकी जमीन के सामने सड़के के उस पार पड़ती है। इसी जमीन के बावत उसका विवाद जानकी से चल रहा था। परीक्षित तथ्य के अन्य साक्षीगण ने भी अभियुक्तगण व वादिनी मुकदमा के मध्य जमीनी विवाद व रंजिश को होना बताया है। इस प्रकार यह तथ्य स्पष्ट है कि वादिनी की अभियुक्तगण से जमीनी रंजिश थी। सम्भवतः इसी कारण सगे सम्बन्धी होने के कारण दोनो पक्षों में आपस में गाली–गलौज एवं मामूली मार–पीट घटना दिनांक 09.08.2022 को हुई थी।

34– साक्षी पी०डब्लू० 1 ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि उसकी चोट से खून निकल आया था। उसके कपड़े में भी खून लग गया था। उसकी पूरी साड़ी खून से भीग गयी थी। चिकित्सीय रिपोर्ट प्रदर्श क–8 के अनुसार साक्षी को इस प्रकार की कोई चोट दर्शित नही है जिससे उसकी चोट से रक्त का बहाव अत्यधिक हुआ हो। चोट से यह स्पष्ट हो रहा है कि मामूली खून उसे आयी हुई चोट नं०–1 निकला हो। इस प्रकार साक्षी द्वारा मामले में बल देने के लिये बढ़ा–चढ़ाकर कथन किया गया है जो विश्वसनीय नही है।

35– साक्षी पी०डब्लू० 1 लगायत 6 सभी ने अभियुक्तगण द्वारा घटना में बांका से मारने का कथन किया गया है परन्तु किसी भी मजरूब को धारदार हथियार की कोई चोट दौरान चिकित्सीय परीक्षण नही पाया गया है। इससे भी यह स्पष्ट हो रहा है कि साक्षीगण ने घटना को बल देने के लिये बढ़ा–चढ़ाकर कथन किया है।

36– साक्षी पी०डब्लू० 1 ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के सम्बन्ध में कथन

किया है कि थाने पर सुनवाई न होने पर पुलिस कप्तान को दरखास्त दिया था तब रिपोर्ट लिखी गयी और घटना के दो–तीन दिन बाद पूँछताछ शुरु हुई। पत्रावली पर संलग्न तहरीर प्रदर्श क–1 श्रीमान प्रभारी निरीक्षक महोदय थाना करनैलगंज को सम्बोधित दिनांकित 09.08.2022 संलग्न है। पत्रावली पर पुलिस कप्तान को दी गयी कोई भी तहरीर उपलब्ध नही है। यह भी स्पष्ट हो रहा है कि मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 09.08.2022 को समय करीब 16.59 बजे दर्ज हुई है अर्थात घटना से करीब 02 घण्टे के अन्दर। इस प्रकार वादिनी मुकदमा का यह कथन विश्वसनीय नही है।

निष्कर्ष

37– पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य व विचारणीय बिन्दु संख्या 1 पर दिये गये सकारण विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण व मजरुब आपस में सगे रिस्तेदार है तथा उनमें जमीन का विवाद स्थापित है। परीक्षित साक्षीगण के साक्ष्य से यह तो स्पष्ट हो रहा है कि घटना दिनांक 09.08.2022 को समय करीब 03.00 बजे दिन अभियुक्तगण द्वारा मजरूबों से गाली–गलौज करते हुए उपहति कारित की गयी है परन्तु विशेषज्ञ साक्षी के साक्ष्य से यह स्थापित नही होता है कि साक्षी पी०डब्लू० 4 को सिर पर आयी हुई चोट प्राणघातक रही हो। इसके अतिरिक्त यह भी स्थापित नही होता है कि वह चोट घटना दिनांक 09.08.2022 को आयी थी। साक्षी पी०डब्लू० 7 रेडियोलॉजिस्ट के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मजरुब पी०डब्लू० 4 के सिर पर आयी हुई चोट 4 दिन या एक सप्ताह पुरानी थी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि साक्षी पी०डब्ल० 4 के सिर पर आयी हुई चोट घटनावाले दिनांक की नही थी। इसके अतिरिक्त साक्षी पी०डब्लू० 1 व 2 ने मामले को बल देने के लिए बढ़ा–चढ़ाकर कथन किया है। मामले में किसी भी मजरूब को धारदार हथियार से चोट नही पायी गयी है जबकि साक्षीगण द्वारा बांका से हमला किया जाना बताया गया है। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि मामले को गंभीर बनाने के लिए घातक हथियार बांका को प्रकरण में शामिल किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी केवल लाठी व डण्डा से मारने को अंकित किया गया है। बांका का उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट में नही किया गया है। इसके अतिरिक्त साक्षी पी०डब्लू० 2 ने घर के अन्दर घुसकर मारने–पीटने का कथन किया है जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में घर के अन्दर घुसकर मारने का कोई उल्लेख नही है। परीक्षित साक्षीगण के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण द्वारा मजरूबों से गाली–गलौज करते हुए उपहति पहुँचायी गयी है परन्तु धारा–308 भा०दं०सं० के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई साक्ष्य या मेडिकल साक्ष्य उपलब्ध नही है। तद्नुसार अभियोजन अभियुक्तगण जानकी प्रसाद, श्यामा, देवी प्रसाद उर्फ बेंचू व गुड़िया के विरुद्ध सामान्य आशय के अग्रसरण में मजरुबों को चोट पहुँचाने, गाली गलौज करने व जान माल की धमकी देने के आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। तद्नुसार अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा–323, 504, 506 सपठित धारा–34 भा०दं०सं० के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्तगण को धारा–308 भा०दं०सं० में

दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर है उनके जमानतनामें निरस्त किये जाते है तथा उन्हे अभिरक्षा में लिया जाता है। प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से मुक्त किया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली भोजनावकाश के बाद पेश हो।

दिनांक–04.08.2026

(फूलचन्द्र कुशवाहा)
(जे०ओ० कोड–यू०पी० 02712)
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायधीश(ई.सी. एक्ट),
गोण्डा
(जे०ओ० कोड–यू०पी० 02712)

04.08.2026 भोजनावकाश बाद

38– पत्रावली लन्च बाद पेश हुई। दण्ड के बिन्दु पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को सुना गया।

39– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि यह उनका प्रथम अपराध है। अभियुक्तगण में दो महिला है भविष्य में उनके सुधरने की पूर्ण सम्भावना है। उनके द्वारा भविष्य में अन्य किसी प्रकार का अपराध किया जाना सम्भावित नहीं है। अतः उन्हें परिवीक्षा पर उचित जमानत मुचलके पर छोड़ने की कृपा करें।

40– अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने विरोध करते हुए कथन किया है कि अभियुक्तगण द्वारा वादिनी मुकदमा व उसके परिजनों को एक राय होकर मारा पीटा है और गाली गुप्ता दिया है। उनके द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः याचना की गई है कि अभियुक्तगण को कठोर दण्ड से दण्डित किया जाय।

41– उभयपक्ष को सुनने के उपरान्त न्यायालय इस मत का है कि यह मामला सगे सम्बन्धियों में जमीनी विवाद को लेकर उत्पन्न हुआ था। मामले में दो महिला अभियुक्ता है जिसमें से अभियुक्ता गुड़िया के गोद में मासूम एक साल के अन्दर का बच्चा भी है। मामले की गम्भीरता व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें करावास की सजा से दण्डित करने बजाय परिवीक्षा अधिनियम का लाभ देकर सदाचरण की परिवीक्षा पर अवमुक्त किया जाना उचित होगा। अतः निम्न आदेश पारित किया जाना उचित है।

आदेश

42– अभियुक्तगण **जानकी प्रसाद, श्यामा, देवी प्रसाद उर्फ बेंचू** व **गुड़िया** को सत्र परीक्षण संख्या–992/2023 अपराध संख्या–371/2023 अन्तर्गत धारा–323, 504, 506 सपठित धारा–34 भा०दं०सं० थाना–करनैलगंज जनपद गोण्डा के प्रकरण के आरोपो के लिए तुरन्त दण्डित करने के बजाय उनके द्वारा मु0 20,000–20,000 रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं उतने ही धनराशि की एक–एक जमानते एक वर्ष की अवधि के लिए जिला प्रोबेशन अधिकारी, गोण्डा के समक्ष निष्पादित करने पर उन्हें परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा–4 के अन्तर्गत सदाचरण की परिवीक्षा पर अवमुक्त किया जाता है। परिवीक्षा अवधि में सिद्धदोष अभियुक्तगण परिशान्ति कायम रखेंगे तथा सदाचारी रहेंगे। परिवीक्षा की शर्तों के उलंघन की दशा में सिद्धदोष अभियुक्तगण को दण्ड के बिन्दु पर सुनने के लिए पुनः आहूत किया जा सकेगा। आदेश की प्रति परिवीक्षा अधिकारी को प्रेषित हो।

43– जिला प्रोबेशन अधिकारी गोण्डा को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त प्रतिभूति दाखिल होने के उपरान्त अविलम्ब न्यायालय को उसकी प्रति के साथ

अवगत कराए। यह भी निर्देशित किया जाता है कि अभियुक्तगण के चाल चलन व आचरण से सम्बन्धित तिमाही आख्या न्यायालय प्रेषित करना सुनिश्चत करें।

44– अभियुक्तगण को धारा–308 भा०दं०सं० में दोषमुक्त किया जाता है।

45– निर्णय की प्रति अभियुक्तगण को अविलम्ब निःशुल्क प्रदान की जाय।

46– निर्णय की प्रति धारा–365 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा को सूचनार्थ प्रेषित की जाये।

47– पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

–sd

दिनांक–04.08.2026

(फूलचन्द्र कुशवाहा)
(जे०ओ० कोड–यू०पी० 02712)
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायधीश(ई.सी. एक्ट),
गोण्डा

(जे०ओ० कोड–यू०पी० 02712)

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

–sd

दिनांक–04.08.2026

(फूलचन्द्र कुशवाहा)
(जे०ओ० कोड–यू०पी० 02712)
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायधीश(ई.सी. एक्ट),
गोण्डा

(जे०ओ० कोड–यू०पी० 02712)